सं० फा० 1(1)-ई० III(ए)/70

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली-2, 14 अगस्त 1970.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दफ्तरियों की कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर के रूप में नियुक्ति - वेतन नियतन।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रश्न उठाया गया है कि रु० 75-95 के सम्मान में काम करने वाले किसी दफ्तरी की रु० 80-1-85-2-95-द० रो०-3-110 के सम्मान में कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर के रूप में नियुक्ति किये जाने पर उसके वेतन नियतन के बारे में क्या पद्धति अपनायी जाय। चूंकि किसी दफ्तरी की कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर के रूप में नियुक्ति होने पर, उस पर अपेक्षाकृत अधिक कार्य और जिम्मेदारी नहीं आती है, इसलिये यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में वेतन का नियतन मूल नियम 22 के नीचे दी गयी लेखापरीक्षा हिदायत सं० (1) के साथ पठित मूल नियम 22(ए)(II) की अनुरूपता पर किया जाना चाहिये।

2. जिन मामलों में वेतन इन आदेशों में स्वीकृत स्तर की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्तर पर नियत किया गया हो, उनमें वेतन का संशोधन, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से, उपर्युक्त पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा और वस्तुतः लिये गये वेतन और इन आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत वेतन के अन्तर को वैयक्तिक वेतन माना जाय जिसे इस कार्यालय ज्ञापन की तारीख के बाद भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाय।

(कृ० पृ० उ०)

3. जहांतक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये गये हैं।

(कृपा सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार.

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय, आदि.
भारत के नियंत्रक, महा लेखा परीक्षक (140 प्रतिलिपियां)

(ब)